न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

कैम्प कोर्ट – जमालपुर

दावा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बउनवान दीनू खां बनाम फजरू वगै०

मु०नं० 2/53 ता० रज्जू 03.07.2017

--:निर्णय:-- दिनांक 03.05.2018

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान--2018 में कैम्प कोर्ट जमालपुर में पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उप०। उभयपक्षकारान को सुना। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विवादित खाता संख्या नया 111 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 750 रकबा 0.74 है० वाके ग्राम बंदीपुरा तहसील मालाखेडा प्रार्थी एवं असल अप्रार्थीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है।

विवादित आराजी के प्रार्थी एवं असल अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है, किन्तु बटवारा नहीं हुआ है।

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। विभाजन का दावा है। वाद की बहुलता को रोकने के लिए मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति आवश्यक है।

सहायक कलक्टर

अतः प्रार्थना पत्र में दिनांक 03.07.2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा करते हुए उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि विवादित खाता संख्या नया 111 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 750 रकबा 0.74 है० वाके ग्राम बंदीपुरा तहसील मालाखेडा की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को लिखाया जाकर मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे।

(जावेद अली)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)